

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 31/316

पटना, दिनांक 22/11/18

सं० सं०-05/उ० नि० ब० (आवंटन) 02/2018

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,  
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

महाप्रबंधक,  
जिला उद्योग केन्द्र, प० चम्पारण (बेतिया)/बक्सर/मधुबनी/पटना

**विषय :-** मुख्य शीर्ष 2852 उद्योग-उप मुख्यशीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में गैर योजना (स्थाई) कार्यालय को स्थापना व्यय वहन करने के लिए विषय शीर्ष 0002.11.01 यात्रा व्यय मद में कुल राशि रू० 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) रुपये मात्र का आवंटन।

महाशय,

उक्त बजट शीर्ष के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना से संबंधित व्यय को वहन करने हेतु कुल रूपया 1,10,000/- (एक लाख दस हजार) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2

इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में आय-व्ययक शीर्ष-2852 उद्योग उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य-लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन-मांग संख्या-23 उपशीर्ष 0002 निदेशन-विपत्र कोड 23-2852.80.001.0002 से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :-

क्र०	कार्यालय/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	यात्रा व्यय (रूपया में) 0002.11.01
1	2	3
1	महाप्रबंधक, जि०उ०के०, प० चम्पारण (बेतिया)	35000
2	महाप्रबंधक, जि०उ०के०, बक्सर	50000
3	महाप्रबंधक, जि०उ०के०, मधुबनी	10000
4	महाप्रबंधक, जि०उ०के०, पटना	15000
5	योग	110000

3

यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना व्यय वहन करने के लिए राशि का आवंटन।

4

राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि०(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 के आलोक में ही किया जाएगा तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

कृ० पृ० उ०

5

- राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाय :-
- (क) योजना के स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।
- (ख) एक इकाई के राशि दूसरे इकाई में व्यय नहीं किया जाय।
- (ग) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग-1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाय ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।
- (घ) व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।
- (च) 2018-19 का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक आवश्य भेज दें।

विश्वासभाजन

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 31/3170

पटना, दिनांक 22/11/18

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार प0 चम्पारण (बेतिया)/बक्सर/मधुबनी/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।

ज्ञापांक 31/3170

पटना, दिनांक 22/11/18

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/श्री सुरेश कुमार, उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक

बिहार, पटना।